2017 का विधेयक संख्यांक 107

[दि एन्शिएंट मोनुमेंट्स एंड आर्कियोलोजिकल साइट्स एंड रिमेन्स (अमेडमेंट) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2017

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और *अवशेष अधिनियम*, 1958 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

1958 का 24

2. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(ञक) "लोक संकर्म" से अवसंरचना से संबंधित ऐसे निर्माण संकर्म अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग या कार्यालय द्वारा वित्तपोषित है और जिसे उसके द्वारा लोक प्रयोजनों हेतु क्रियान्वित किया जाता है और जो साधारण जनता की सुरक्षा या संरक्षा के लिए आवश्यक है तथा आपातकालीन आवश्यकता साधारण जनता की सुरक्षा या संरक्षा को खतरे के विनिर्दिष्ट दृष्टांत पर आधारित है और प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमाओं से परे ऐसे निर्माण के संबंध में किसी अन्य व्यवहार्य विकल्प की युक्तियुक्त संभावना नहीं है;'।

धारा 20क का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 20क में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट कोई बात लोक संकर्मों को लागू नहीं होगी :

परंतु इस संबंध में कोई प्रश्न कि क्या कोई निर्माण संकर्म लोक संकर्म है अथवा नहीं, प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो उसका समाधान हो जाने पर लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिश करेगा, जिस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा :

परंतु यह और कि यदि केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय प्राधिकरण की सिफारिश से भिन्न होता है तो केन्द्रीय सरकार उसके कारणों को लेखबद्ध करेगी ।

(6) केन्द्रीय सरकार का कोई ऐसा विभाग या कार्यालय, जो निर्माण संकर्म, जिसके अंतर्गत किसी प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी लोक संकर्म के लिए कोई पुनः निर्माण या मरम्मत या नवीकरण संकर्म भी है, करने के लिए प्रस्ताव कर रहा है, ऐसे निर्माण संकर्मों को करने हेतु समक्ष प्राधिकारी को आवेदन करेगा ।

(7) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार किसी निर्माण संकर्म को लोक संकर्म के रूप में अवधारित किए जाने पर, सक्षम प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय को, ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति से दस दिन के भीतर आवेदक को संसूचित करेगा ।

(8) धारा 20ग के उपबंध, किसी प्रतिषिद्ध क्षेत्र में लोक संकर्म को यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।"।

धारा 20घ का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (8) में, "महानिदेशक" शब्द के स्थान पर, "सक्षम प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 20झ का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 20झ में, खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(ङक) प्रतिषिद्ध क्षेत्र में प्रस्तावित किए जाने वाले लोक संकर्म के प्रभाव, जिसके अंतर्गत पुरातत्वीय प्रभाव, दृश्य प्रभाव और विरासत संबंधी प्रभाव निर्धारण भी है, पर विचार करना और उसके संबंध में केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करना :

परंतु किसी निर्माण संकर्म के संबंध में कोई सिफारिश तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाए कि प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमाओं से परे ऐसे निर्माण संकर्म को स्थानांतरित करने के लिए किसी अन्य व्यवहार्य विकल्प की युक्तियुक्त संभावना नहीं है ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों तथा राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों के परिरक्षण के लिए, पुरातत्वीय उत्खनन के विनियमन के लिए और मूर्तियों, नक्काशियों तथा अन्य वैसी ही वस्तुओं के संरक्षण के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया था ।

2. उक्त अधिनियम, 2010 में संशोधित किया गया था जो, अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 20क के अधीन केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक को ऐसे लोक संकर्मों या जनता के लिए आवश्यक परियोजनाओं या अन्य निर्माणों के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के लिए अनुज्ञात करता है जिसका उसकी राय में संरक्षित क्षेत्र या संरक्षित संस्मारक की बाबत प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किए जाने वाले, संस्मारकों या उसके ठीक आस-पास के परिरक्षण, रक्षा, सुरक्षा या उनकी पहुंच पर कोई सारवान प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा । तथापि, यह किसी प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी लोक संकर्म को कार्यान्वित करने या जनता के लिए आवश्यक परियोजना या अन्य निर्माणों को प्रतिषिद्ध करता है ।

3. संरक्षित क्षेत्र या संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर नए निर्माण का प्रतिषेध केन्द्रीय सरकार के विभिन्न लोक संकर्मों तथा विकासात्मक परियोजनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है । अधिनियम की धारा 20क के अधीन किसी निर्माण पर प्रतिषेध के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति का समाधान करने के लिए, अधिनियम का संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई है जिससे कि उन लोक प्रयोजनों, जो जनसाधारण की रक्षा या सुरक्षा के लिए आवश्यक है, के लिए केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग या कार्यालय द्वारा वित्तपोषित और कार्यान्वित अवसंरचना से संबंधित निर्माण के लिए अनुज्ञात किया जा सके ।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एक विधेयक अर्थात् प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2017 को, अन्य बातों के साथ,--

(क) अधिनियम की धारा 2 में "लोक संकर्म" की नई परिभाषा का उपबंध करने के लिए ; और

(ख) अधिनियम की धारा 20क का संशोधन करने के लिए पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे उन लोक प्रयोजनों, जो साधारण जनता की रक्षा या सुरक्षा के लिए आवश्यक है, के लिए केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग या कार्यालय द्वारा वित्तपोषित और कार्यान्वित अवसंरचना से संबंधित लोक संकर्म के निर्माण के लिए अनुज्ञात किया जा सके और प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमाओं से परे ऐसे निर्माण के लिए किसी अन्य जीवनक्षम अनुकल्प की युक्तियुक्त संभावना नहीं है ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
16 जून, 2017

डॉ. महेश शर्मा

उपाबंध

प्राचीन संस्मारक तथा पुरात्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्यांक 24) से उद्धरण

* * * * * *

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा प्रदान करना

विनियमित क्षेत्र के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा प्रदान करना ।

20घ. (1) * * * * *

(8) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक, इस अधिनियम के अधीन दी गई या नामंजूर की गई सभी अनुज्ञाओं को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगी/करेगा ।

* * * * * *

GMGIPMRND—1000LS(CRC)—10-07-2017.